FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

गोपी राम उर्फ हरिचन्द्र बनाम मोहन लाल आदि

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी नम्बर 09 सन 2019

तामिल हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.10.19	प्रार्थी गोपी राम उर्फ हरिचन्द्र पुत्र रतीराम जाति बिश्नोई निवासी 2 एफ सी मुकन हाल 5 एम एस डी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 4 एफ सी मुकन की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 69/64 के मु.न. 5 के सम्बन्ध मे यदि अप्रार्थीगण या अन्य किसी भी काश्तकार द्वारा कोई वाद, स्थगन प्रार्थना पत्र या अन्य कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे। (मूलचन्द लूणिया) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर	[illegible] नोटिस जारी 326 3/10/19
27/1/20	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कैवियट प्रार्थना पत्र को 3 माह से ऊपर का समय हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। (मूलचन्द लूणिया) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.02.07 15:55:33 IST
Reason: SelfAttested